

Witness No.....07.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken
the 13th day of फरवरी 2026witness's apparent age 55 वर्ष
States on affirmation -शपथपूर्वकmy name is श्री केदारनाथ घृतलहरे
S/O श्री दयाराम घृतलहरे... ..occupation - कृषक
Address- साकिन-गोड़ाडीह, थाना पचपेड़ी, जिला-बिलासपुर(छ.ग.)

प्रारंभ समय 01.10 बजे

मुख्य परीक्षण द्वारा एडीपीओ श्री चंद्रकांत सिंह जगत

01- मैं आरोपी मनिष नवरत्न तथा देवेन्द्र नवरत्न को नहीं पहचानता हूं। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी03 व 04 के ब से ब भाग के हस्ताक्षर को नहीं पहचानता हूं। मेरे सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

टीप- इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी ने साक्षी से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर विचार कर प्रकरण एवं साक्षी का कथन अवलोकन पश्चात अभियोजन अधिकारी को साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

02- यह कहना गलत है कि दिनांक 21.11.2020 को 12.10 बजे मनिष नवरत्न से एक बांस की डंडे की जप्ती कार्यवाही तथा उसी दिनांक को 12.20 बजे देवेन्द्र नवरत्न से एक टंगिया की जप्ती पुलिस के द्वारा की गई थी, मैं जप्ती कार्यवाही के समय बतौर गवाह थाने में उपस्थित था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी03 एवं 04 के ब से ब भाग के हस्ताक्षर मेरे हैं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री बी०के० पाण्डेय वास्ते अभियुक्त

03- कुछ नहीं ।

समय 01:25 बजे

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया,

सही/-

(सुरभि धनगढ़)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

बिलासपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित ।

सही/-

(सुरभि धनगढ़)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

बिलासपुर (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर